न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजि

प्रकरण : संख्या -

शीर्षक .... बनाम ......

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	19.05.25 पत्रा० पेश हुई। आवेदक प्रार्थी उप०। प्रस्तुत प्रा० पत्र 128 CrPC स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय/आदेश पृथक से लिखवाया। प्रकरण ता० फा० किया गया। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।
	(हस्ताक्षर)
	उपखण्ड अधिकारी (मुहर)
	राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 119/2024
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 27.08.2024
निर्णय दिनांक – 19.05.25

अनवान

1. दुल्हेसिंह पिता हेमसिंह निवासी चिंतामणी का मादडा तहसील व जिला राजसमन्द।

......................**प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द।
2. शंभुसिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपुत चिंतामणी का मादडा तहसील व जिला राजसमन्द।
3. सज्जनसिंह पिता तेजसिंह राजपुत चिंतामणी का मादडा तहसील व जिला राजसमन्द।
4. मनोहरसिंह पिता प्रेमसिंह राजपुत निवासी चिंतामणी का मादडा तहसील व जिला राजसमन्द।

......................**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री योगेश कावडिया
विपक्षी सं. 1 – पेरोकार राज
विपक्षी सं. 2 से 4– अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चिंतामणी का मादडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 401/70, 403/70, 405/70, 407/70, 408/101, 410/78, 70/1, 78 कुल किता 8 रकबा 0.5787 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थी की खातेदारी की होकर प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य की होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त आराजीयात के पडौसी प्रार्थी से भूमि के सीमा संबंध मे बार बार विवाद करते है एवं लडाई झगडा करने पर उतारू है। प्रार्थी सीमा के संबंध मे हमेशा के लिए विवाद खत्म करना चाहता है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर पत्थरगढी हो जाने पर पडौसियो के लिए हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जायेगा, और प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर सही ढंग से खेती कर सकेगा। प्रार्थी व पडौसियो के मध्य काफी विवाद सीमा संबंधी बढ चुका है, और भविष्य मे भी और विवाद बढने की संभावना है, जिसकी क्षतिपूर्ति अर्थ मे संभव नही होगी। उसके लिए न्यायहित मे यह आवश्यक हो गया है कि भूमि की पत्थरगढी की जावे। प्रार्थी पत्थरगढी के लिए आवश्यक नियमानुसार व्यय वहन करने को तैयार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान काया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं. 1 की और से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 2 से 4 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त विपक्षी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। विपक्षी सं. 1 पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया विवादित भूमि के सभी पडौसियों को सूचित किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम चिंतामणी का मादडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 401/70, 403/70, 405/70, 407/70, 408/101, 410/78, 70/1, 78 कुल किता 8 रकबा 0.5787 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थी आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम चिंतामणी का मादडा की जमाबन्दी सम्वत 2077–2077 के अनुसार आराजी संख्या 401/70, 403/70, 405/70, 407/70, 408/101, 410/78, 70/1, 78 कुल किता 8 रकबा 0.5787 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थी की एकल खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजीयात निर्विवादित रूप से प्रार्थी की एकल खातेदारी की होकर प्रार्थी पत्थरगढी कराने के अधिकारी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजसमन्द को कमिश्नर शुल्क राशि 2000/- रू पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर निर्माण नही हो एवं किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना राजस्व ग्राम चिंतामणी का मादडा पटवार हल्का बडारडा तहसील राजसमन्द के आराजी संख्या 401/70, 403/70, 405/70, 407/70, 408/101, 410/78, 70/1, 78 कुल किता 8 रकबा 0.5787 हैक्टेयर भूमियों के पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुए नियमानुसार सीमा जानकारी कराते हुए विधिसम्मत पत्थरगढी की कार्यवाही करावे यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी अदा करे। तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

सत्यमेव जयते

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी),
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 19.05.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द